न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 44/2019

प्रार्थी

चैन भारती पुत्र स्व0 गुणेश भारती जाति भारती निवासी गांव लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उन्नालाल पुत्र स्व0 पारूलाल
2. कमलेश पुत्र उन्नालाल
3. राजेश पुत्र उन्नालाल
   समस्त जाति घांची नि0 नरसिंह दड़ा के पास, जोधपुर।
4. ग्राम पंचायत लूणी जरिये सरपंच लूणीतहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख संख्याः 53/2003 मिसल संख्याः 81/2001–02 दिनांक 20.05.2003 जो ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता हनुमान प्रजापति (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता सुगनमल परिहाऱ (अप्रार्थी)।

–आदेश – दिनांक **17.03.2020**

यह पंचायत निगरानी इस न्यायालय के पंचायत निगरानी संख्या 03/2012 निर्णय दिनांक 15.12.2014 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को दिये गये निर्देश की पालना में प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 33677 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रार्थी अभिभाषक हनुमान प्रजापति ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.10.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अतः ग्राम पंचायत लूणी द्वारा अप्रार्थी को जारी पट्टा विलेख संख्या 53/2003 मिसल संख्या 81/2001–02 दिनांक 20.05.2003 की मूल पत्रावली मंगवाई जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया। संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि यह पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम विरूद्ध

पट्टा विलेख संख्या 53/2003 मिसल सं. 81/2001–02 दिनांक 20.05.2003 को जो सरपंच ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जारी किया गया है के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी का एक आबादी का रहवासीय भूखण्ड एवं उस पर बनी एक जायदाद ग्राम लूणी तहसील लूणी में आया हुआ है। उक्त भू खण्ड पर प्रार्थी का अपने पिता के जीवन काल से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी भूखण्ड ग्राम लूणी के खसरा नं. 737 में स्थित है जो कि पूर्व में राजकीय भूमि के रूप में था। उक्त खसरा भूमि पर 737 लोगों के रहवासीय मकान बने हैं। राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 05.06.2006 के द्वारा गांव लूणी का उक्त खसरा नं. 737 ग्राम पंचायत की आबादी विस्तार हेतु आबादी भूमि में रूपांतरित किया एवं दिनांक 05.06.2006 को आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के अधीन आया। इससे पूर्व उक्त भूमि खसरा नं. 737 राजकीय भूमि के रूप में था। उक्त भूमि पंचायत के अधीन आई उस समय प्रार्थी ने ग्राम पंचायत लूणी में आवेदन कर अपने नाम पट्टा विलेख बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर संपूर्ण जांच कर प्रार्थी के नाम से नियमितिकरण करते हुए पट्टा जारी किया।

प्रार्थी ने उपरोक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में 19 फीट चौडा रास्ता है जो वर्षों से चला आ रहा है। जो आम रास्ता है जो प्रार्थी के भूखण्ड से पूर्व से होकर निकलता है तथा आगे मूलजी दर्जी के घर के पीछे से होता हुआ हरिश्चन्द्र सिन्धी एवं लक्ष्मीनारायण माली के प्लॉट के बीच में से होता हुआ आगे की ओर जाता है। जिसका उपयोग प्रार्थी एवं गांव के आम लोगों द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी सं. 4 से मिलकर अपने नाम से बिना किसी अधिकार के पट्टा सं. 53/2003 दिनांकः 20.05.2003 को जारी करवा लिया। ऐसा पट्टा ग्राम पंचायत को देने का अधिकार नहीं है। तथाकथित जारी पट्टे का भूखण्ड अप्रार्थी का न होकर रास्ते की भूमि के रूप में था, जिस पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं था।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत लूणी से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत लूणी ने उक्त तथाकथित पट्टा बिना क्षेत्राधिकार के तथा विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 140 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर ही पट्टा दिया जा सकता है निगरानीधीन पट्टा सं. 53/2003 जो मिसल संख्या 81/2001–02 ग्राम पंचायत लूणी ने जारी किया है, उस दिन खसरा नं. 737 की भूमि आबादी भूमि नहीं थी बल्कि राजकीय भूमि सिवाय चक थी। इस कारण ग्राम पंचायत लूणी को खसरा सं. 737 में पट्टा जारी करने का अधिकार ही नही था। जमाबंदी संवत 2058 से 2061 तक ग्राम लूणी के खसरा नं. 737 रकबा 68.14 बीघा भूमि राजकीय बारानी तृतीय रेकर्ड में दर्ज है। उक्त जारी पट्टा विलेख सं. 53/2003 का भूखण्ड खसरा संख्या 737 में स्थित है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा विलेख जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत लूणी के पास निगरानीधीन पट्टा का कार्यवाही विवरण पंजिका भी उपलब्ध नहीं है। ग्राम सेवक लूणी द्वारा प्रस्तुत मिसल को देखने पर यह भी पाया गया कि जारी पट्टे में कांट छांट कर गलत व गैर कानूनी तौर से अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर दिया गया है। इनके नाम से कोई आवेदन पत्र भी नहीं है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत एक बार पट्टा जारी कर देने के पश्चात दुबारा पट्टा जारी नहीं कर सकती। मूल पट्टा बाढ़ में बह जाने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) पुराने मकानों को विनियमितिकरण कर सकता है जबकि वह ग्राम की आबादी की भूमि होनी चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्रफल 4961.72 वर्गगज का पट्टा राजकीय भूमि में जारी किया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है।

प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया है वह भूमि सार्वजनिक चौक/रास्ता की भूमि है। ग्राम पंचायत को रास्ते की

भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने पट्टा दिनांक 20.05.2003 को जारी किया, उसी दिन पारूमल का देहान्त भी हो गया था। जारी पट्टा बाबत राजकीय राशि भी जमा नहीं करवायी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि स्टोपल एक्ट ग्राम पंचायत पर लागू हो सकता है। उन्होनें न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल रेकर्ड के साथ संलग्न पट्टा व निगरानी के साथ संलग्न पट्टा का मिलान करें तो भिन्नता मिलेगी। ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत पट्टे में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं है। उक्त सारी फर्जी कार्यवाही सरपंच के घर पर ही की गई है।

प्रार्थी ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःजिपजो/पीए/2015/33598 दिनांक 08.01.2016 से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया है। नियम 157 (ख) में उल्लेखित है कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये में पट्टा जारी करवा सकेंगे। जिसमें अधिकतम सीमा 300 वर्गगज निर्धारित की गई है लेकिन अप्रार्थी को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 4961.72 वर्गगज है। इससे पूर्णत स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी का पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस में बतलाया कि पूर्व में न्यायालय में इस पटटे के विरूद्ध पंचायत निगरानी पेश हुई थी जो दाखिल दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थी ने केवल प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी को चाहिये था कि वे नई पंचायत निगरानी पेश करे। प्रार्थी के द्वारा केवल प्रार्थना–पत्र पेश करने पर न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। प्रार्थी द्वारा बिन्दूवार निगरानी पेश नहीं की गई। अतः अप्रार्थी किसका जवाब दे।

हमने पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर

मनन किया। अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा बिन्दुवार निगरानी पेश नहीं की गई है तथा पूर्व में इस पट्टे के विरूद्ध जो पंचायत निगरानी पेश की गई थी जो दाखित दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा केवल एक प्रार्थना–पत्र पेश करने पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई है जो विधि अनुसार नहीं है। अप्रार्थी के अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 (राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति) में यह भी स्पष्ट किया गया कि '' राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी। '' पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। यह तथ्य निर्विवादित है कि सरपंच ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जिस दिनांक को भूमि का पट्टा जारी किया गया वह ग्राम लूणी के खसरा नं. 737 की सरकारी भूमि में जारी किया गया। ग्राम लूणी की भूमि खसरा नं. 737 दिनांक 02.06.2006 को आबादी भूमि आवंटन की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःजिपजो/पीए/2015/33598 दिनांक 08.01.2016 से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया है। नियम 157 (ख) में उल्लेखित है कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये में पट्टा जारी करवा सकेंगे। जिसमें अधिकतम सीमा 300 वर्गगज निर्धारित की गई है लेकिन अप्रार्थी को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 4961.72 वर्गगज है। उक्त भू–भाग पर अप्रार्थी को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों का उल्लघन किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 53/2003 मिसल संख्या 81/2001–02 दिनांक 20.05.2003 को एतद् निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को निर्देश दिये जाते है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट क्रमांकःजिपजो/पीए/2015/33598 दिनांक 08.01.2016 में जो पट्टे ग्राम पंचायत लूणी द्वारा नियम विरूद्ध जारी किये गये है उनके विरूद्ध एक माह में पंचायत निगरानी पेश करे। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। मूल रिकॉर्ड व निर्णय प्रति ग्राम पंचायत लूणी व निर्णय प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.06.17 11:05:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: